प्रकरण संख्या 2/2014 कैलाश बनाम सरपंच ग्रा.पं. खमेरा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी घाटोल ने अपने आदेश क्रमांक 517–19 दिनांक 04.11.2010 से ग्राम उदा जी का गड़ा की आराजी नंबर 1144 रकबा 4.33 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.02.2014 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माह दिसम्बर में अपीलान्ट अपनी कृषि भूमि आराजी नंबर 1144 रकबा 1.00 हैक्टर में फसल की सिंचाई कर रहा था कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मौके पर आये एवं कहा कि यह भूमि हमने आरक्षित करवा ली है, तुम कब्जा खाली कर दो। तब अपीलान्ट ने उक्त आदेश की प्रमाणित नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। हालांकि उक्त अपील करीब 3 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को तत्समय हो गयी है, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके साथ क्रम संख्या 1 से 15 तक दस्तावेज प्रस्तुत किये एवं न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों में क्रम संख्या 12 के [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:51 IST
Reason: SelfAttested

फोटो, क्रम संख्या 13 सीडी एवं क्रम संख्या 14 रशीदों की फोटो प्रतियां होने से साक्ष्य हेतु रेकार्ड पर लिया जाना हम उचित नहीं समझते हैं, किन्तु दस्तावेज क्रम संख्या 1 से 11 व 15 प्रमाणित प्रतिलिपियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि मूल सर्वे नंबर 1144 रकबा 4.33 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर भूमि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी है, जिसके हाल सर्वे नंबर 2002/1144 पर अपीलान्ट का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा भूमि के चारों ओर सीमेंन्ट के पोल लगाकर तारबन्दी कर रखी है एवं उत्तर दिशा में अपीलान्ट के खाते की भूमि मौजूद है तथा वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की एडजोईनिंग लैण्ड हैं, जिस पर अपीलान्ट नियमित व निर्बाध रूप से काबिज है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने संबंधी व रिश्तेदारों को अनुचित लाभ देने की नियत से पटवारी हल्का से मिलकर उक्त आरक्षण संबंधी कार्यवाही करवायी है ताकि मौके से अपीलान्ट को बेदखल किया जा सके। अपीलान्ट ने उक्त भूमि का आधिपत्य रेस्पोन्डेन्ट को सुपुर्द नहीं किया है आज भी कब्जा अपीलान्ट का ही चला आ रहा है, किन्तु उक्त आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उक्त आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त आदेश से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है, न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.11.2010 निरस्त किया जावे एवं आराजी नंबर 1144 रकबा 4.33 हैक्टर में से रकबा 1.00 हैक्टर हाल सर्वे नंबर 2002/1144 नक्शा ट्रेस में स्थित अनुसार अपीलान्ट के नाम नियमन का आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन व मनन किया। पटवारी हल्का खमेरा की मौ[illegible]र्ट के आधार पर व तहसीलदार घाटोल की अनुशंषा पर [illegible] अधिकारी, घाटोल द्वारा आराजी नंबर 1144 रकबा 4.33 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 2/2014 कैलाश बनाम सरपंच ग्रा.पं. खमेरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की है, परन्तु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि सेट अपार्ट करने या आरक्षित करने का अधिकार केवल जिला कलेक्टर को है। साथ ही पटवारी की मौका रिपोर्ट में अतिक्रमण मुक्त भूमि होना भी जाहिर किया है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों (तहसीलदार घाटोल द्वारा जारी धारा 91 के नोटिस की प्रतियां) से प्रमाणित नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी घाटोल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.11.2010 अपास्त किया जाता है पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी बाबत् तहसीलदार घाटोल से पुनः मौके की रिपोर्ट तलब कर एवं विवादित आराजी से संबंधित प्रभावित पक्षकारान को सुनकर प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर पर प्रेषित करा निर्णय करावें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भ–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:51 IST
Reason: SelfAttested